-:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी छ.ग. ::-

क्रमांक:- पुअ./धम./शिका./माअआ./14/05 जी 281 दिनांक:- 21.12.2005

प्रति,

सहायक निदेशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल "बी विंग, लोकनायक भवन,

खान मार्केट नई दिल्ली 110003

विषय:- आवेदक सुखदेव नेताम साकिन बेलरगांव की शिकायत जांच प्रतिवेदन ।

संदर्भ:- नंबर छ.ग./एसटी./5/2005-एपीसीआर दिनांक 1.12.2005

••

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आवेदक सुखदेव पिता अंकालू राम नेताम उम्र 58 साल साकिन बेलरगांव थाना सिहावा जिला धमतरी की शिकायत पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुई। जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक, अजाक/क्राईम जिला धमतरी से कराई गई है।

जांच पर पाया गया हहै कि आवेदक की रिपोर्ट पर थाना सिहावा में दिनांक 23.3.2005 को 9.30 बजे अपराध क्रमांक 69/05 धारा 429 ता.हि. कायम कर विवेचना किया गया। विवेचना दौरान आरोपी धर्मेन्द्र पिता दानीराम सतनामी साकिन चार्लीपारा बेलरगांव थाना सिहावा जिला धमतरी के ऊपर अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 30.3.05 को गिरफ्तार किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान नंबर 60/05 दिनांक 7.4.2005 तैयार किया गया। तथा दिनांक 16.4.2005 को चालान न्यायालय धमतरी में पेश किया गया है जिसका केश नंबर 103/05 है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मृत बैल की मुआवजा राशि दिलाने बाबत आवेदक सुखदेव नेताम द्वारा संबंधित न्यायालय में आवेदन देना उचित होगा ताकि मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा दिला सकें।

जांच प्रतिवेदन सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न:- मूल शिकायत 07 पन्ने.

पुलिस अधीक्षक,
जिला धमतरी

पृ०क्रमांक:- पुअ./धम/शि./पुमु./58/05 दिनांक:- 21.12.2005

प्रतिलिपी:-

उप पुलिस महानिरीक्षक, (अजाक) पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके पत्र क्रमांक पुमु./अजाक/शिका/2651/05 दिनांक 15.12.2005 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक,
जिला धमतरी

•••